कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, क्षेत्रीय वन मण्डल टीकमगढ़ (म.प्र.)

पता : वन भवन, ढोंगा स्टेडियम के पास, वार्ड नं. 15 के समीप ईको सेन्टर टीकमगढ़ म.प्र. 472001

ई–मेल : dfotkmgar@mp.gov.in फोन नं. : 07683-245315 फेक्स नं. : 245315

विस्तृत नियम/शर्तें

कार्यालय वनमडलाधिकारी सामान्य वन मण्डल टीकमगढ़ द्वारा मासिक किराये पर अनुबंधित किये जाने वाले वाहनों हेतु नियम/शर्तें निम्नानुसार रहेगी :–

1. निविदा स्वीकार करने अथवा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का सम्पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल टीकमगढ़ का रहेगा।
2. निविदा के विरूद्ध लगाये जाने वाले प्रस्तावित वाहन का पंजीयन एवं बीमा की सत्यापित छायाप्रति निविदा के साथ लगाई जाना आवश्यक रहेगा।
3. वाहन चालक प्रथम पक्ष (निविदाकार) का रहेगा। जिसके पास नियमानुसार फोरव्हीलर एवं वैध्य ड्राईविंग लाइसेंस होना आवश्यक रहेगा। वाहन चालक का वेतनभत्ता एवं अन्य व्यय प्रथम पक्ष द्वारा वहन किया जावेगा।
4. निविदा कार द्वारा निविदा के साथ समस्त दस्तावेज की स्वाप्रमाणित एक प्रति स्कैन कर एम0पी0टेण्डर की साइटमें ई–निविदा के माध्यम से अपलोड करना अनिवार्य होगा जैसेः– (जी0एस0टी0 रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पैनकार्ड, आधारकार्ड एवं फर्म का पंजीयन) स्वामित्व का प्रमाण–पत्र देना होगा अन्यथा निविदा स्वीकार्य योग्य नही होगी।
5. निविदा कार द्वारा प्रदायित वाहन का बीमा, रजिस्ट्रेशन, ड्राइविंग लाइसेंस आदि दस्तावेज हमेशा वाहन में रखना अनिवार्य होगा।निविदा कार द्वारा प्रदायित वाहन टैक्स पेड होना चाहिए तथा निविदा स्वीकृत उपरांत उक्त बिन्दु क्रमांक 05 के अनुसार समस्त दस्तावेजो की एक प्रति हार्ड कॉपी कार्यालय वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल टीकमगढ़ को उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा।
6. निविदा में भाग लेने वाली फर्म/संस्था/ट्रेवल्स किसी भी शासकीय संस्था से कभी भी ब्लैक लिस्टेड/दिवालिया नहीं होना चाहिए। इस बावत् निविदा कर्ता फर्म को मूल शपथ पत्र प्रारूप–1 एवं 2 में जानकारी भर कर स्वाप्रमाणित प्रति अपलोड/प्रस्तुत करना अनिवार्य रहेगा।
7. निविदा की दरें निर्धारित BOQ फाईल में ही भरी जायेगी।
8. अनुबंध अवधि में यदि निविदा कार द्वारा वाहन उपलब्ध नहीं कराया जाता है और यदि संबंधित कार्यालय या अधिकारी द्वारा अन्य स्त्रोत से वाहन किराये पर लिया जाता है। तो अंतर की राशि निविदा कार के अर्नेस्ट मनी से वसूल योग्य रहेगी तथा वसूली उपरांत अर्नेस्ट मनी की शेष राशि संबंधित निविदा कार द्वारा 15 दिवस के अन्दर पुनः जमा करना अनिवार्य रहेगा।
9. वाहन के स्वामित्व आदि में किसी प्रकार के विवाद का उत्तरदायित्व प्रथम पक्ष का होगा। प्रस्ताव मान्य होने पर वाहन प्रतिमाह बिना किसी अवकाश के प्रति दिन वाहन चालक सहित विभाग को उपलब्ध कराना अनिवार्य रहेगा।
10. किराये पर लिये जाने वाले वाहनों का बीमा, सड़क सुरक्षा प्रमाण पत्र, रजिस्ट्रेशन, वाहन के व्यावसायिक उपयोग हेतु शासन के नियमानुसार समस्त लायसेंस/प्रमाण पत्र, रोड़ टैक्स की जिम्मेदारी प्रदायकर्ता की रहेगी।
11. दौरे पर वाहन चालक को किसी भी प्रकार के यात्रा भत्ते की पात्रता नही होगी।वेतन, यात्रा भत्ता आदि समस्त भुगतान निविदाकार/वाहन प्रदायकर्ता द्वारा ही किया जावेगा।
12. कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने वाले वाहन की समस्त प्रकार के मरम्मत, सुधार कार्य, टायर–ट्यूब बैटरी को तत्काल बदलने की जिम्मेदारी संबंधित निविदाकार/वाहन प्रदायकर्ता की रहेगी।

Scanned by CamScanner

13. किराये पर लिये गये वाहन की सेवांए संतोष जनक नही होने पर किसी भी समय वाहन को कार्यालय से हटाने का सम्पूर्ण अधिकार वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल टीकमगढ़ का रहेगा।

14. निविदा स्वीकृति उपरांत संबंधित निविदाकार द्वारा वाहन चालक के ड्रायविंग लायसेंस की छायाप्रति, उसके निवास का पता एवं संस्था का सत्यापन प्रमाण पत्र की छाया प्रति वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल कार्यालय टीकमगढ़ के कार्यालय में जमा कराया जाना अनिवार्य रहेगा।

15. वाहन की लॉग बुक में प्रतिदिन मीटर रीडिंग आदि का विवरण भरने का उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा तथा संबंधित अधिकारी से हस्ताक्षर कराने का उत्तरदायित्व वाहन चालक का होगा। वाहन की लॉगबुक के प्रमाणी करण के आधार पर ही वाहन के देयको का भुगतान किया जावेगा।

16. किराये पर अनुबंधित वाहन का मासिक किराये का भुगतान कार्यालय द्वारा प्रतिमाह नियमानुसार स्वीकृत निविदाकार के बैंक खाते में किया जावेगा।

17. वाहन सेल्फ स्टार्ट होना आवश्यक है टायर ट्यूब, एयर कंडिशनर चालू हालत में होना चाहिए तथा माईलोमीटर चालू हालत में होना अनिवार्य रहेगा, इसकी जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। खराब होने की स्थिति में अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा।

18. यह अनुबंध एक वित्तीय वर्ष के लिये है, सेवाऐं संतोष जनक पाए जाने पर आगे भी बढ़ाया जा सकेगा

19. निविदा एम0पी0ई0टेण्डर के माध्यम से भरी जावेगी।

20. किराये पर लिये जाने वाले वाहन हेतु निविदा प्रारूप (प्रपत्र) का मॅल्य राशि 1000.00 (एक हजार रूपए मात्र) एवं जमानत के रूप में ई0एम0डी0 की राशि 100000.00 (एक लाख रूपए मात्र) किसी भीराष्ट्रीय कृत बैंक से जारी जो एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए वैध हो "वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल टीकमगढ़" के पक्ष में देय एफ0डी0आर0 ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य रहेगा, अन्यथा निविदा स्वीकार्य नही की जावेगी। उक्त दोनो राशि के जमा होने की रसीद को निविदा के साथ संलग्न/अपलोड करना आवश्यक रहेगा। उपरोक्तानुसार निविदा पत्र का मूल्य एवं सुरक्षा निधि की राशि प्राप्त होने पर ही निविदा स्वीकार की जावेगी।

21. वाहन हेतु निविदा प्रारूप (प्रपत्र) का मूलराशि 1000.00 रूपये (एक हजार रूपये मात्र) वापसी योग्य नहीं होगी।

22. कार्यालय द्वारा वाहन प्रदाय आदेश जारी होने पर निविदा कार्य को निर्धारित शर्तों के अधीन वाहन उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि निविदा का कार्य अनुबंध करने एवं वाहन उपलब्ध कराने में असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा जमा की गई अरनेस्टमनी शासन के पक्ष में राजसात करते हुये काली सूची में नाम दर्जकर 03 वर्षो के लिये शासकीय विभाग में भाग लेने हेतु आयोग्य किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

23. वाहन चालक/ड्रायवर को वाहन कार्यालय के संबंधित अधिकारी के निवास पर ही रखना होगा। इस हेतु प्रति दिन वाहन चालक द्वारा वाहन की चाबी संबंधित अधिकारी को वाहन छोड़ने की पूर्व सौपना अनिवार्य रहेगा। वाहन चालक की अनुपस्थिति में वाहन संबंधित अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार चलाया जावेगा।

24. वाहन चालक की उपस्थिति एवं वाहन के रख–रखाव की जिम्मेदारी निविदाकार की रहेगी।

25. वाहन की दुर्घटना तोड़फोड़ एवं किसी भी प्राकर की क्षतिपूर्ति आदि के लिए कार्यालय/वाहन धारण करने वाला अधिकारी उत्तरदायी नही रहेगा।

26. निविदा कार द्वारा ई–मेल पता, एक दूरभाष लेण्डलाइन एवं दो मोबाईल नम्बर (एक जिसमें व्हाटसॅप चलता हो) निविदा में लेख किया जावें जिस पर वाहन संबंधी जानकारी वावत् सूचना का आदान प्रदान किया जावेगा, जो निविदा कार को मान्य करना अनिवार्य रहेगा।

Scanned by CamScanner

27. जिस दिनांक को वाहन खराब होने के कारण चलन में नही होगा, उस दिन का किराया देय योग्य नही रहेगा। वाहन के खराब होने की स्थिति में वाहन मालिक को उसी मेक का अन्य वाहन उपलब्ध कराना रहेगा।वाहन उपलब्ध न कराने की स्थिति में कार्यालय यदि अन्य वाहन किराये पर लेता है तो किराये के अन्तर की राशि वाहन स्वामी/निविदाकार से वसूल की जोवगी।

28. वाहन पर वैध लाईसेंस धारी ड्राईवर को ही रखा जावेगा।ड्राइवर को समय का पाबंद, मदिरा अथवा अन्य दुर्व्यसन रहित तथा अच्छे व्यवहार, अच्छे चाल चलन वाला होना आवश्यक रहेगा। ऐसा न होने पर प्रदायित वाहन एवं वाहन चालक सहित कभी भी वाहन वापस करने का सम्पूर्ण अधिकार संबंधित अधिकारी के पास सुरक्षित होगा।

29. वाहन में किसी प्रकार की दुर्घटना होने अथवा यातायात या अन्य नियमों का उल्लंघन होने पर सम्पूर्ण जवाबदारी वाहन चालक एवं वाहन स्वीमी की रहेगी। यदि किसी प्रकार की घटना में किसी अधिकारी/कर्मचारी को न्यायालय में उपस्थित होना पड़ता है तो उसका सम्पूर्ण व्यय निविदाकार/वाहन स्वामी द्वारा वहन किया जावेगा।

30. वाहन में किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री का परिवहन नही किया जावेगा। वाहन में किसी प्रकार की प्रतिबंधित सामग्री पाये जाने पर वाहन चालक एवं निविदाकार/वाहन स्वामी सम्पूर्ण रूप से उत्तरदायी रहेगे।

31. निविदाकार/वाहन स्वामी को केन्द्रीय उत्पाद कर (सेन्ट्रल एक्साइज ड्यिुटी) विभाग के अंतर्गत नियमानुसार सर्विस टैक्स हेतु पंजीकृत होना अनिवार्य रहेगा एवं इस का पंजीयन क्रमांक निविदा प्रपत्र एवं देय को पर अंकित होना आवश्यक रहेगा।

32. देयक से नियमानुसार समय–समय पर प्रचलित (टी.डी.एस.) की कटौती की जावेगी। इस हेतु वाहन मालिक को फर्म/व्यक्ति का PAN देना होगा जिसका उल्लेख निविदा/देयको पर होना अनिवार्य है। इसी आधार पर संबंधित को टी.डी.एस. प्रमाण पत्र जारी किया जावेगा।

33. किसी भी विवाद की स्थिति में वनमण्डलाधिकारी सा. वन मण्डल टीकमगढ़ का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य रहेगा।

34. उक्त निविदा की स्वीकृत दरें वित्तीय वर्ष 2025–26 अर्थात 31.03.2026 तक लागू रहेंगी। किन्तु वित्तीय वर्ष के बाद भी आगामी निविदा पूर्ण होने तक यही दरें मान्य रहेगी।

35. किराये पर अनुबंधित वाहन में जी.पी.एस. सिस्टम लगाना अनिवार्य रहेगा।

36. किराये पर अनुबंधित वाहन में फ्रंट (आगे) और रियर (पीछे) कैमरे लगाना अनिवार्य रहेगा।

37. किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र टीकमगढ़ रहेगा।

38. किराये पर अनुबंधित किये जाने वाले वाहन का मॉडल **वर्ष 2022** के पूर्व का मान्य नहीं किया जावेगा।

39. निविदा स्वीकृति उपरांत सफल निविदाकार द्वारा बिन्दुक्रमांक 01 से 39 में उपरोक्त वर्णित शर्तो का उल्लंघन करने पर या शासन को क्षति होने पर उसकी निविदा निरस्त किया जाकर जमा अमानत राशि को शासन के पक्ष में राजसात करते हुए कालीसूची में नाम दर्ज किया जाकर द्वितीय सफल निविदाकार को उपरोक्त शर्तो के अधीन वाहन प्रदाय करने हेतु आदेश जारी किया जावेगा। ऐसी स्थिति में निविदाकर्ता द्वारा किसी प्रकार का राजनेतिक या अनैतिक दबाव नहीं डाला जायेगा, इस बावत् वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल टीकमगढ़ का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी रहेगा।

वनमंडलाधिकारी
सा. वन मण्डल, टीकमगढ़

Scanned by CamScanner